

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर

2BHK TYPE -07



4,49,070

1,12,268

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

सिग्नेचर इफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड

 प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति 	लाइसेंस नं./वर्ष — 73 of 2019 दिनांकः 04-07-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथिः 30.09.2019- मेमो न.: ZP-1339/AD(RA)/2019/24562. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 69 OF 2019 DATED 14.11.2019						
3. स्थान	सेक्टर 95, गुरुग्राम, हरियाणा।						
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5.1125 एकड़ में कुल 738 अपार्टमेंट में से 285 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय मवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी-सह-क्रेश।						
 अपार्टमेंट के विवरण, अ 	भावंटन दर	और भुगतान	के नियम				
अपार्टमेंट के विवरण							
कैटेगरी (टाइप)		यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20 %
2BHK TYPE -01		86	585.551	83.701	23,84,055	1,19,203	4,76,811
2BHK TYPE -02		34	594.065	82.151	24,17,336	1,20,867	4,83,467
2BHK TYPE -03		101	594.829	74.401	24,16,517	1,20,826	4,83,303
2BHK TYPE -04		27	592.860	85.703	24,14,292	1,20,715	4,82,858
2BHK TYPE -05		34	586.573	83.055	23,87,820	1,19,391	4,77,564
		I	l .	1	I	I	I

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 6 महीने की बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

22,45,351

99.589

548.889

3

2						
6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।					
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• प्रलोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़िकयाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वींल टाइल - 4 फुट/न फुट की केंचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क I स्ट्रक्वर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्वर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।					
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2020 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Infrabuild Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: 7053-124-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अतिम तिथ्धिः 10.11.2020। यह परियोजाना आम जनता के लिए 21.10.2020 पर खोली गई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथ्य 10.11.2020 थी, जिसे आगे 25.11.2020 तक बढ़ा दिया गया है iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूबी www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है।					

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो | 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो | पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी | इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी | इसके बाद बचे पत्नैट के एलॉटमेंट में ऐसे ओवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी 'सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट / र्लॉट नहीं हो | 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है | इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन होता हो । उपने किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन होता हो । एसं का केवल एक फ्लैट चुनना होगा |

आवंटन के मानक: 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कत कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवंदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंगिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवंदक अफोडेंबल ग्रूप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विमागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।







SIGNATURE INFRABUILD PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2013PTC247676

Regd. Office: Unit No. 1310 at 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi – 110001

Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City-1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in


HOME LOAN PARTNER

HFL

PICICI Bank Home Loans khayaal aaoka

YES BANK

ficici Home Finance



Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Interth, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details, specifications can be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority weishe https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown: Jan; is based upon gooding may sway in fit as a trelevant point of time. "Rate membrand above does not include SST and other statutory chapters," if applicable, 12 CA pigh; "Sy are "Sy sign." The subsidy differs as per the eligibility of the clients profile and the ioan amount. This is the max amount of such such that can be evaluated by the same goes with the loan amount too for avoiding the subsidy; Ptease not that the toon can be sanctioned more than 12 casts this subsidy of the client can receive and the same goes with the loan amount too for avoiding the subsidy; Ptease viole that the loan can be sanctioned more than 12 casts this subsidy such as a client can receive and the same goes with the loan amount too for avoiding the subsidy; Ptease viole that the loan amount too for avoiding the subsidy state as the amount too.